रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 1978/ज्यैष्ठ 18, 1900
No. 286] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 1978/JYAISTHA 18, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई, 1978

का०आ० 376(अ).—दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का अधिनियम 11) की धारा 24 की उपधारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 346 के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन, तारीख 28-5-1977 की अधिसूचना संख्या का०आ० 374(ई) के अधीन गठित जांच आयोग द्वारा दिल्ली के मुख्य मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट श्री पी०के० जैन के न्यायालय को भेजे जाने वाले मामले के अभियोजन के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 173 और 179 के अधीन किए गए अपराधों के लिए श्री संजय गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए एडवोकेट श्री कार्ल खण्डालावाला को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 6/11020/28/78-कोमसेक]

जे०सी० पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 1978

S.O. 376(E).—In exercise of the powers under Sub-Section 6 of Section 24 of the Criminal Procedure code (Act II of 1974) the Central Government hereby appoint Shri Karl Khandalwala, Advocate, as Special Public Prosecutor for the purpose of prosecuting the case to be forwarded under Section 5(4) of the Commission of Inquiry Act read with Section 346 of the Cr. P.C., to the court of Shri P. K. Jain, Chief Metropolitan Magistrate, Delhi, by the Commission of Inquiry constituted under Notification No. S.O 374 dated 28-5-1977 for the trial of Shri Sanjay Gandhi for offences under Section 178 & 179 IPC.

[No. VI/11020/28/78-Comsec]

J. C. PANDEY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978